

E-1/2026
16/9/24

कार्यालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला देवास (म0प्र0)

क्रमांक- 112/नि.स./2026

देवास दिनांक- 16.08.2026

:: विशेष रिमाण्ड ड्यूटी आदेश ::

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के आदेश क्रमांक 928/गोपनीय/2026/11-2-1/2026 दिनांक 01.09.2026 के आलोक में म.प्र. राज्य अकादमी, जबलपुर द्वारा "ई-साक्ष्य नियम {The Madhya Pradesh Electronic Record (Reception, storage, Retrieval, Access Management and Preservation in Court) रूल्स, 2026}" के संबंध में न्यायिक अधिकारीगण हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 27.09.2026 को आयोजित किया जाना निर्धारित किया गया है।

उक्त आदेश के पालन में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 3499/प्रशिक्षण नस्ती/2026 देवास, दिनांक 08.09.2026 अनुसार ई-साक्ष्य नियम, 2026 के संबंध में समस्त न्यायिक अधिकारीगण को दिनांक 27.09.2026 को आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के उक्त आदेश एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के कार्यालयीन ज्ञापन के अनुपालन में दिनांक 27.09.2026 को प्रशिक्षण में भाग लेने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेटगण की रिमांड ड्यूटी के संबंध में आवश्यक व्यवस्था किया जाना आवश्यक होने से, इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी रिमांड ड्यूटी आदेश क्र. 98/पी.ए./2026 देवास, दिनांक 21.08.2026 में संशोधन करते हुए दिनांक 27.09.2026 के रिमाण्ड एवं अत्यावश्यक कार्य संपादन हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण को उनके न्यायालय कक्ष में सायं 3 से 5 बजे तक कार्य संपादित करने हेतु आदेशित करता हूँ।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि रिमांड से उपस्थित होने वाले अभियुक्त की विधि अनुसार भौतिक उपस्थिति अनिवार्य न हो, तो संबंधित मजिस्ट्रेटगण व्ही.सी. के माध्यम से भी रिमांड/प्रतिभूति आवेदन पत्र का निराकरण कर सकेंगे।

मुख्यालय देवास

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	दिनांक	न्यायालय
1	श्रीमती दीक्षा मौर्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवास	27.09.2026	मुख्यालय देवास एवं तहसील सोनकच्छ एवं टोंकखुर्द न्यायालय।

तहसील मुख्यालय खातेगोव

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	दिनांक	न्यायालय
1	श्रीमती राधा उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खातेगोव जिला देवास	27.09.2026	तहसील मुख्यालय खातेगोव एवं कन्नौद व बागली न्यायालय।

(भारत सिंह कर्नेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला देवास

...2/-